गिरवी अथवा बन्धक के अनुबन्ध
(Contract of Pledge)
PART-I

अनुबन्ध अधिनियम की धारा 172 के अनुसार गिरवी अथवा बन्धक के अनुबन्ध की परिभाषा — "किसी ऋण के भुगतान अथवा किसी वचन के निष्पादन के लिए जमानत के रूप में माल के निक्षेप को गिरवी (Pledge) कहते हैं।" इसमें निक्षेपी 'गिरवी रखने वाला' और निक्षेपगृहीता 'गिरवी रख लेने वाला' कहलाता है।

उदाहरण — यदि 'अ', 'ब' से 150 रु० उधार ले और इसके बदले में अपनी साइकिल जमानत के रूप में रख दे, तो यह ~~ब~~ गिरवी का अनुबन्ध माना जायेगा। यहाँ पर 'अ' गिरवी रखने वाला तथा 'ब' गिरवी रख लेने वाला कहलायेगा।

गिरवी अनुबन्ध की सबसे मुख्य बात यह है कि केवल चल सम्पत्ति (Movable Property) ही गिरवी रखी जा सकती है, अचल सम्पत्ति (Immovable Property) नहीं।

दूसरे शब्दों में, केवल वही वस्तुएँ गिरवी रखी जा सकती हैं जिनका उल्लेख वस्तु विक्रय अधिनियम में किया गया है।

वैध गिरवी की विशेषताएँ (Characteristics of Valid Pledge)

एक वैध गिरवी की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

1. गिरवी रखने वाले के पास वस्तु का वैधानिक अधिकार होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का गिरवी रखी जाने वाली वस्तु में सीमित हित है तो वह उस सीमा तक उसे गिरवी रख सकता है।
2. माल का हस्तांतरण ऋण देते समय अथवा ऋण देने के उचित समय के अन्दर हो जाना चाहिए। हस्तांतरण वास्तविक अथवा सांकेतिक (Actual or Constructive) किसी भी रूप में हो सकता है।
3. गिरवी केवल चल माल सम्पत्ति के सम्बन्ध में किया जा सकता है, अचल सम्पत्ति के लिए नहीं।
4. ऋण भुगतान हो जाने अथवा वचन के निष्पादन के पश्चात् माल वापस हो जाता है।

5. गिरवी अनुबन्ध के अनुसार किसी ऋण को चुकाने अथवा वचन के निष्पादन के लिए जमानत के रूप में माल गिरवी रखा जाता है।
6 यह जरूरी नहीं है कि गिरवी के लिए माल की सुपुर्दगी तथा धन देने का कार्य दोनों एक ही समय हो।

गिरवी रख लेने वाले के अधिकार
(Right of Pawnee)

1. माल को रोकने का अधिकार - अधिनियम की धारा 173 के अनुसार गिरवी रख लेने वाला गिरवी रखे हुए माल को केवल ऋण के भुगतान अथवा वचन के निष्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि ऋण के ब्याज तथा उन सब आवश्यक व्ययों के लिए भी रोक सकता है जो उसने माल के अपने अधिकार में रखने अथवा उसकी सुरक्षा के सम्बन्ध में किए हों।

धारा 174 के अनुसार गिरवी रख लेने वाला गिरवी रखे गये माल को केवल उस ऋण अथवा वचन के सम्बन्ध में ही रोक सकता है जिसके लिए कि माल गिरवी रखा गया है, अन्य किसी के लिए नहीं, जब तक कि

इसके विपरीत कोई अनुबन्ध न किया हो।

2. असाधारण व्यय पाने का अधिकार—
गिरवी रख लेने वाला गिरवी रखने वाले से उन सभी असाधारण व्ययों को पाने का अधिकारी है जो उसने गिरवी रखे माल की सुरक्षा के सम्बन्ध में किये हैं।

3. गिरवी रखने वाले की त्रुटि पर अधिकार—
अधिनियम की धारा 176 के अनुसार यदि गिरवी रखने वाला निश्चित समय पर ऋण के भुगतान अथवा वचन के निष्पादन में, जिसके लिए माल गिरवी रखा गया था, त्रुटि करता है तो गिरवी रख लेने वाले को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं—

a. वह ~~a~~ गिरवी रखने वाले (Pawnee) के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है और गिरवी के माल को सहायक जमानत (Collateral Security) के रूप में रोक सकता है, अथवा

b. गिरवी रखने वाले को उचित सूचना देकर गिरवी रखे गये माल को बेच सकता है।

यदि वस्तु बेचने से ऋण अथवा वचन से कम धन प्राप्त होता है, तो वह शेष धन गिरवी रखने वाले से प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके विपरीत, यदि बिक्री

से प्राप्त धन दोनों धन से अधिक हो, तो उसे (गिरवी रख लेने वाले को) अतिरिक्त धन गिरवी रखने वाले को वापस करना होगा।

अधिनियम की धारा 177 के अनुसार यदि गिरवी रखने वाला निश्चित समय के अन्दर ऋण चुकाने तथा वचन के निष्पादन में त्रुटि करता है, तो वह (गिरवी रखने वाला) उस माल को उसकी बिक्री से पूर्व किसी भी समय छुड़ा सकता है। परन्तु छुड़ाने के लिए उसे मूल राशि के अतिरिक्त वह सभी व्यय देने होंगे जो उसको (गिरवी रख लेने वाले को) इस त्रुटि के कारण उठाने पड़े हों।

4. ग्रहणाधिकार (Lien) - अधिनियम की धारा (178 अ) के अनुसार यदि गिरवी रखने वाले (Pawnee) ने एक व्यर्थनीय अनुबन्ध के अन्तर्गत प्राप्त माल को गिरवी रखा हो, तो ऐसे माल के सम्बन्ध में गिरवी रख लेने वाले को अच्छा स्वत्व (Good faith) प्राप्त हो जाता है बशर्ते उसने गिरवी रखने वाले से माल को सद्भावना तथा गिरवी रखने वाले के दोषयुक्त स्वत्व (Bad title) की बिना सूचना के ही प्राप्त किया हो। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि गिरवी का अनुबन्ध करते समय वह निरस्त न किया हो।